

विभिन्न अधिनियमों में सजा का प्रारूप

अधिनियम	धारा	अपराध	सजा का प्रावधान	संज्ञान या संज्ञान नहीं योग्य	जमानती / अजमानती
राजस्थान वन अधिनियम, 1953	26	आरक्षित वनों में निषिद्ध कार्य	6 माह का कारावास / 500 रुपये का अर्थदंड / दोनों।	असंज्ञेय	जमानती
	33	संरक्षित वनों में निषिद्ध कार्य	6 माह का कारावास / 500 रुपये का अर्थदंड / दोनों।	असंज्ञेय	जमानती
	41 42	वन उपज परिवहन से सम्बन्धित	6 माह तक का कारावास / 500 रुपये का अर्थदंड / दोनों।	असंज्ञेय	जमानती
	63	वृक्षों एवं ईमारती लकड़ी पर लगे चिन्हों में जालसाजी या विकृत करना व सीमाचिन्हों को परिवर्तित करना	2 वर्ष तक का कारावास / अर्थदंड / दोनों।	असंज्ञेय	जमानती
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	9 / 51	शिकार पर निषेध	3 से 7 वर्ष तक सजा व कम से कम 10,000 का अर्थ दंड तथा द्वितीय अपराध पर कम से कम 25000 का अर्थदंड	संज्ञेय	अजमानती
	27 / 51	अभयारण्य में प्रवेश पर निषेध	3 वर्ष तक का कारावास / 25000 रुपये का अर्थदंड / दोनों।	संज्ञेय	अजमानती
	29 / 51	आश्रय स्थल में क्षति	3 वर्ष तक का कारावास / 25000 रुपये का अर्थदंड / दोनों।	संज्ञेय	अजमानती
	30 / 51	अभयारण्य में अग्नि जलाना	3 वर्ष तक का कारावास / 25000 रुपये का अर्थदंड / दोनों।	संज्ञेय	अजमानती
	31 / 51	अभयारण्य में हथियार लेकर प्रवेश	3 वर्ष तक का कारावास / 25000 रुपये का अर्थदंड / दोनों।	संज्ञेय	अजमानती
	32 / 51	अभयारण्य में हानिकारक पदार्थ ले जाना	3 वर्ष तक का कारावास / 25000 रुपये का अर्थदंड / दोनों।	संज्ञेय	अजमानती
	35 / 51	नेशनल पार्क में वर्जित कार्य	3 वर्ष तक का कारावास / 25000 रुपये का अर्थदंड / दोनों।	संज्ञेय	अजमानती

	44/51	ट्राफी एवं पशु वस्तुओं का बना अनुज्ञा लेनदेन निषिद्ध	3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास व कम से कम 10000 रुपये का अर्थदंड।	संज्ञेय	अजमानती
	49/51	अनुज्ञाधारी को छोड़कर अन्य व्यक्ति द्वारा बन्दी पशु क्रय करना	3 वर्ष तक का कारावास/ 25000 रुपये का अर्थदंड / दोनों।	संज्ञेय	अजमानती
वन संरक्षण अधिनियम, 1980	3 क	धारा 2 के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करना	15 दिन का कारावास	असंज्ञेय	जमानती
	3 ख	प्राधिकरणों और सरकारी विभाग द्वारा अपराध	15 दिन का कारावास	असंज्ञेय	जमानती
तेंदूपत्ता अधिनियम, 1974	16	अधिनियम I तदधीन बनाये गये नियमों के किसी भी उपबंध के उल्लंघन पर	1 वर्ष तक का कारावास/ 500 रुपये का अर्थदंड / दोनों।	असंज्ञेय	जमानती
राजस्थान (आरामीलों की स्थापना एवं नियम) 1983	13 3	अपराध नियम के अन्तर्गत किया गया हो	प्रथम बार 500 रुपये द्वितीय 1000 रुपये प्रत्येक पश्चातवर्ती व्यतिवम के लिए 2000 रुपये	असंज्ञेय	जमानती
भू राजस्व अधिनियम, 1956	91	भूमि पर अनाधिकृत कब्जा	50 गुणा तक शास्ती, पश्चातवर्ती अपराध पर 3 माह तक सिविल जेल	असंज्ञेय	जमानती

विभिन्न अधिनियमों में अपराधों का वर्गीकरण

क्र.सं.	अपराध	संज्ञेय / असंज्ञेय	जमानती / अजमानती	न्यायालय जिसमें ट्रायल होना
1.	यदि किसी अपराध में मृत्यु, आजीवन कारावास या सात साल से अधिक की सजा का प्रावधान।	संज्ञेय	अजमानती	सेशन न्यायालय
2.	3 – 7 साल तक की सजा का प्रावधान।	संज्ञेय	अजमानती	प्रथम श्रेणी दण्डनायक
3.	3 साल से कम की सजा का प्रावधान।	असंज्ञेय	जमानती	प्रथम श्रेणी दण्डनायक

(Cr.P.C. प्रथम अनुसूची का भाग II)